न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 09 / 2020

1. साहबराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर।

–अपीलांट

बनाम

1. मनीराम पुत्र बीझाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर।
2. सुरजभान पुत्र बीझाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर।
3. राजेन्द्र पुत्र सुरजभान जाति जाट साकिन न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. दलीप पुत्र सुरजभान जाति जाट साकिन न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–असल रेस्पोडेन्ट

5. इमरती पुत्री रामचन्द्र पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. औमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. करणाराराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन केसरदेशर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. बलवन्ती पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी चक 9 एस.पी.डी तहसील सूरतगढ़।
9. भूराराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन न्योलखी तहसील रावतसर।
10. सुमेर पुत्र शीमला पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन चक 9 एसपीडी तहसील सुरतगढ।
11. वंदना पुत्री शीमला पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन चक 9 एसपीडी तहसील सूरतगढ़ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

12. सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन न्योलखी तहसील रावतसर।

—तरतीयी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री मनीराम सारावग अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांकः— 12.08.2024

अपीलांट साहबराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर द्वारा अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार राजस्व पल्लू दिनांक 26.02.2020 को एक पक्षीय पैमाईश की गई को निरस्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की गई जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा झेदासर तहसील रावतसर के ख0नं0 1658/1014 की 0.506, 1659/1014 की 2213 कुल 2.7190 हैक्टेयर अकेले के नाम तथा ख0नं0 1014 की 1.9230, 1660/1022 की 0.253, 1661/1022 की 0. 5180 कुल तादादी 2.6940 हेक्टेयर अपीलांट व रेस्पोडेन्टगन की संयुक्त खाते की कृषि भूमि है।

2. उपरोक्त भूमि खसरा नं0 1014 में स्थित थी लेकिन इस भूमि में से नहर व सडक आ जाने के कारण यह भूमि वर्तमान में खसरा परिवर्तन हाल जमाबंदी के खाता स. 498/511 के ख0न. 1658/1014 की 0.506, 1659/1014 की 22130 कुल 2.27190 जो अपीलांट के अकेले के नाम दर्ज है तथा अपीलांट के कब्जा काश्त में है। खसरा नं0 1014 की 1.9230, 1660/1022 की 0.253है. 1661/1022 की 0. 5180 कुल 2.6940 हैक्टेयर में अपीलांट का 1/99 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो शामिल खाते में है तथा सभी ने अपनी अलग— अलग सींव बना रखी है। बीच में सड़क व नहर आ जाने के कारण खेत टुकड़ों में विभाजित हो गया। इसी कारण अपीलान्ट हमेशा सीव व लगान सम्बन्धित विवाद रखते है। तथा लडाई झगडा करते रहते है। दिनांक 26.06.2020 को उप तहसीलदार राजस्व पल्लू से मिली—भगत करके एक पक्षीय पैमाईश का आदेश पारित करवाकर बिना किसी सूचना के पटवारी हल्का को लेकर अपीलांट के खाते की भूमि में जबरिया निशान देही देकर रेस्पोडेन्ट को हमारे कब्जा की भूमि गलत तरीके से निशान देही देकर रेस्पोडेन्ट की साबित करने की कोशिश कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swankar
Date: 2024.09.09 16:55:13 IST
Reason: SelfAttested

3. उपरोक्त भूमि शामिल खाते की है जिसमें खातेदार बख्तावरी तथा शिमला फोत हो चुकी है तथा अन्य खातेदार की बिना सहमती के पैमाईश करवाकर जबरिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जबरिया हमारे कब्जा की भूमि हडपना चाहते है। इसलिये उक्त आदेश निम्न आधारों पर निरस्त योग्य है–

(क) उपरोक्त भूमि को खातों में है। जिसमें खाता स. 498/511 अपीलान्ट के अकेले के नाम है। तथा खाता स. 786/400 सामिल है। जिसमें दो खातेदार फौत हो चुके है फिर भी बिना सहमती के एक पक्षीय पैमाईश का आदेश पारित करके कानूनी भूल की है, जो अपास्त योग्य है।

(ख) दो खातेदार फौत हो चुके है। इसलिये मृतक के खिलाफ किसी भी प्रकार से पैमाईश का आदेश पारित नहीं किया जा सकता तथा खाता सं0 498 अकेले अपीलांट का है। जिसकी पैमाईश बिना अपीलांट की सहमती नही हो सकती। इसलिये उक्त आदेश विधि विरुद्ध है तथा इसके आधार पर किया गया सीमा ज्ञान विधि विरुद्ध व एक पक्षीय है जिसके आधार पर कोई हक व हिस्सा हासिल नही हो सकता। अतः आदेश निरस्त किया जाकर दोनो पक्षों में मौजूदगी में टीम गठित करके पुनः पैमाईश का आदेश पारित करे।

(ग) अपीलांट के खेत में सावनी की फसल काश्त कर रखी है। इसलिये खड़ी फसल में किसी प्रकार की निशान देही दिया जाना उचित नही है। पटवारी हल्का ने बिना पैमाईश किये मनमाने तरीके में रेस्पोडेन्ट के बहकावें में आकर अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि में निशान लगाकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है, जो निरस्त योग्य है।

(घ) उक्त विधि विरुद्ध तरीके से की गई निशान देही के आधार पर रेस्पोडेन्टगण अपीलांट की खड़ी फसल में दखलन्दाजी करके काबिज हो जाते है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी सुरत में सम्भव नही है।

(ड़) अपीलकृत आदेश दिनांक 26.06.2020 को है। जो अन्दर मियाद है।

(च) अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः अपील अपीलांट पेश करके [illegible] रहे राजस्व पल्लू के द्वारा दिनांक 26.6.2020 को की गई एक पक्षी[illegible]इश [illegible] निरस्त करके तहसीलदार की उपस्थिति में ही टीम गठित [illegible] पैमाईस [illegible] की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:13 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो[illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 12 को तर्क किया गया।

अतिरिक्त जिला व
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू से अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पल्लू द्वारा दिनांक 26.06.2020 को को पारित विधि विरूद्ध आदेश को अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट अपास्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से तलबशुदा अपीलाधीन निर्णय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन करनें पर पाया कि अपीलांट को दिनांक 26.06.2020 को नायब तहसीलदार पल्लू द्वारा किये सीमाज्ञान में सुनवाई/उपस्थिति होनें बाबत अवसर नहीं दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2020 को पारित निर्णय में त्रुटि कारित की है। अतः अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.06.2020 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि की पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.8.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:13 IST
Reason: SelfAttested